

17.08.2021

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्तावली प्रेश हुई। पत्तावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। पार्थी शंभु सिंह पतिहार के तालवी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिस पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा अंकित रियोर्ट अनुसार पार्थी शंभु सिंह को मौत (मृत) होना बताया है एवं पार्थी के पुत्र द्वारा तामिल नोटिस प्राप्त किया गया है। दिनांक 19.02.2020 से आज दिनांक तक पार्थी की ओर से न्यायालय हाजा में कोई उमस्वित नहीं हुआ है। अतः पार्थी संबंधी मौत/मृतक होने से एवं पार्थी के परिवार से न्यायालय हाजा में पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से किसी के उमस्वित नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। निर्णय की प्रति मय सल आम्स पत्तावली जम्हारी अधिकारी, न्याय अनुभाग जिला कार्यालय, भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे। पत्तावली मैसल नुमार बीकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा